न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 81 / 2020

उनवान

गोपी पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. उगरा पुत्र श्रवण,
2. पन्ना पुत्र श्रवण,
3. छोगा पुत्र उदा,
4. कुनण पुत्र उदा,
5. नाहरलाल,
6. गणपत पुत्र नाथू,
7. चौथी पुत्री नाथू,
8. तीजी पुत्री नाथू जाति जाट नि0 जसवंतपुरा, नसीराबाद,
9. मैनेजर बडौदा राज0 श्रेत्रीय ग्रामीण बैंक लोहरवाडा,
10. मैनेजर आईसी.आईसी.आई. नसीराबाद,
11. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 10 अनुपस्थित
11 जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 13.5.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा हनुवतिंया में स्थित खाता संख्या 33 / 126 किता 15 रकबा 5.77, 31 / 128 किता 3 रकबा 1.89, 32 / 127 के खसरा नम्बर 1873 रकबा 0.77 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का [illegible] हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे [illegible] एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। साथ ही वादी के हिस्से की भूमि के [illegible] खसरा नम्बर 1855 रकबा 1.03 की भूमि है। जिस पर से प्रतिवादीगण वादी को बे[illegible] करना चाहते है। अतः आराजी मुतनाजा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनपुस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादीगण द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नही चाही गयी है। एवं उनके द्वारा खसरा नम्बर 1855 बाबत भी कोइ अनुतोष नही चाहने का निवेदन किया। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादी ने खसरा नम्बर 1855 बाबत कोई अनुतोश नही चाहा है। उक्त आराजी सिवायचक होने से वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी नही है। सह खातेदारी आराजी पर वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम रामपुरा हनुवतिंया में स्थित खाता संख्या 33/126 किता 15 रकबा 5.77, 31/128 किता 3 रकबा 1.89, 32/127 के खसरा नम्बर 1873 रकबा 0.77 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में समस्त सहखातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:03 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गोपी बनाम उगरा वगै0

दावा बाबत :— 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 81/2020
पेश करने की दिनांक — 04.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम रामपुरा हनुवतिंया में स्थित खाता संख्या 33/126 किता 15 रकबा 5.77, 31/128 किता 3 रकबा 1.89, 32/127 के खसरा नम्बर 1873 रकबा 0.77 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में समस्त सहखातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद